न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस.

अपील संख्या 34/2024 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2024/28)

मनजीत कौर पत्नी श्री गुरमीत सिह पुत्री मोहर सिह जाति जट सिख निवासी गंगानथाना,जिला भटिण्डा हाल आबाद चक 16 आर.जे.डी. तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

अपीलान्ट्स

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये रेवेन्यू तहसीलदार रावला जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः 1. श्री नायब सिह – अभिभाषक अपीलान्ट
2.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 02.05.2024**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार घड़साना के आदेश दिनांक 31.05.2018 एवं वर्तमान तहसीलदार रावला दिनांक 31.12.2019 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार घड़साना के आदेश दिनांक 31.05.2018 एवं वर्तमान तहसीलदार रावला दिनांक 31.12.2019 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर उक्त दोनो आदेशो को निरस्त करने एवं अपील में वर्णित भूमि का इन्तकाल अपीलान्ट के नाम दर्ज करने हेतु तहसीलदार को आदेश देने का अनुतोष चाहा गया है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 05.03.2024 द्वारा प्रार्थना पत्र धारा –5 मियाद अधिनियम कोराना काल की अवधि मानकर पत्रावली अन्दर मियाद शुमार की गई है।
4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि अपीलान्ट ने एक कृषि भूमि घड़साना एवं वर्तमान रावला तहसील के चक नं. 13 के. डी (ए) का पत्थर नं. 109/62 मु. नं. 16 का किला नं. 1 ता 25 कुल 6.325 हैक्टेयर अनकमाण्ड व पत्थर नं. 109/54 का मु. नं. 17 का किला नं. 1 ता 25 कुल 6.325 हैक्टेयर अनकमाण्ड कुल 12.650 हैक्टेयर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अनकमाण्ड खातेदारी में से 4.217 हैक्टेयर हिस्सा राजकुमार खातेदार मे से 2.362 हैक्टेयर व इन्द्र सिह से उसका समस्त हिस्सा 3.963 हैक्टेयर कुल 6.325 हैक्टेयर अनकमाण्ड रकबा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 16.01.2018 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया जो कब्जा काश्त अपीलान्ट का है। अपीलान्ट द्वारा भूमि खरीदने के बाद सब रजिस्ट्रार रावला ने नियमित रूप से बैयनामा की कॉपी तहसीलदार घड़साना को भेजी जिस पर तहसीलदार घड़साना ने यह कहकर दिनांक 31.05.2018 को अपीलान्ट के नाम इन्तकाल अस्वीकार किया कि बैयनामा में खरीददार का निवास पंजाब राज्य का है। जिसके लिए अपीलान्ट को ना तो कोई नोटिस दिया, ना ही सुना गया और सबूत का साक्ष्य पेश करने का अवसर भी नही दिया गया। अपीलान्ट ने इन्तकाल दर्ज करने की कोई दरख्वास्त ही नही दी थी, तहसीलदार घड़साना ने मनमाने तौर पर सुआमोटो इन्तकाल दर्ज कर निरस्त कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के विवरीत है। अपीलान्ट के पिता मोहर सिह की चक 16 आर. जे. डी. के निवासी थे उनके नाम वहा पर मु.नं. 39/57, 39/58 में 1.696 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि थी जो उनकी मृत्यु के बाद विरासतन इन्तकाल नं. 113 दिनांक 05.12.2012 को अन्य वारिसान के साथ–साथ अपीलान्ट का नाम दर्ज हुआ है। अपीलान्ट के पिता मोहर सिह व माता तेज कौर की वोटर लिस्त चक 16 आर जे डी की बनी हुई है और राश्न कार्ड भी बना हुआ है केवल अपीलान्ट के पक्ष में जो बैयनामा हुआ है उसमें उसका पता पंजाब राज्य का लिख देने से उसे राजस्थान का निवासी नही मानना गलत है। गंगानगर जिला पंजाब के साथ चिपता हुआ सीमावृति जिला है यहा के लोग एक दूसरे स्थान से आते–जाते है रिश्तेदारिया है भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिक को कही भी बसने आजीविका कमाने, प्रोपर्टी खरीदने का मूल अधिकार दे रखा है। तहसीलदार ने जिस नोटिफिकेशन का हवाला दिया है वो इस मामले मे लागू नही होते है। अपीलान्ट के नाम रजिस्टर्ड बैयनामा हुआ है, उसने स्टाम्प ड्यूटी जमा करवाई है अगर इस प्रकार मनाही है तो सब रजिस्ट्रार ने बैयनामा पंजिबद्व क्यो किया ? उसी समय मना क्यो नही किया गया ? रजिस्ट्रार भी राजकीय अधिकारी है। जब बैयनामा पंजीबद्व

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

किया गया है तो इन्तकाल से मना नही किया जा सकता है। अपीलान्ट तहसीलदार के समक्ष हाजीर हुई है जिससे मामला विवादित हो जाता है जिसको सुनने का अधिकार अदालतवाला को है। अपीलान्ट उक्त दोनो आदेश 31.05.2018 एवं 31.12.2019 से एग्रीवड है और एक साथ दोनो आदेशो के विरूद्व अपील पेश की है। अतः अपील स्वीकार कर आदेश दिनांक 31.05.2018 एवं उसके आधार पर दिया गया आदेश दिनांक 31.12.2019 निरस्त किये जावे और तहसीलदार को आदेश दिये जावे कि अपील के पैरा सं. 2 में वर्णित भूमि का इन्तकाल अपीलान्ट के नाम दर्ज करे । अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में RLR 2001(1) पेज 690 (HIGH COURT) का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ विश्लेषण किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार नामान्तरकरण संख्या 113 दिनांक 05.12.2012 जो कि विरासतन दर्ज किया जाना प्रतिवेदित हुआ है। उक्त नामान्तरकरण अनुसार मोहरसिह की मृत्यु होने पर दायर विरासतन नामान्तरकरण में मनजीतकौर का नाम बतौर पुत्री दायर है तथा मोहरसिह पुत्र नगेन्द्रसिह, ग्राम 16 आर.जे.डी. तहसील घड़साना का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। मोहरसिह पुत्र नगेन्द्रसिंह का नाम पत्रावली के सलग्न राजस्थान राज्य की मतदाता सूचि में भी दायर है, उक्त दस्तावेजात यह प्रदर्शित करते है कि मनजीतकौर, श्री मोहरसिह की पुत्री है तथा मोहरसिह घड़साना तहसील क्षेत्र का निवासी है। उक्त तथ्यो के मध्यनजर तहसीलदार द्वारा मनजीत कौर के राजस्थान राज्य का मूल निवासी नही होने का हवाला दिया जाकर नामान्तरकरण को निरस्त किया जाना उचित व विधि सम्मत प्रतित नही होता है। अतःअपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.05.2018 व 31.12.2019 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार (राजस्व) रावला जिला अनूपगढ को इस निर्देश के साथ प्रति–प्रेषित (Remand) किया जाता है कि प्रकरण का उभय पक्ष की सुनवाई की जाकर स्थापित विधि की पालना करते हुए निस्तारण करे। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

पत्रावली नम्बर से कम **होकर** सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक **02.05.2024 को लिखवाया** जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर